<u>संख्या- 75 /आर0एफ0-701/नौ-9-2026/005-ई-1963478</u>

**प्रेषक,**

**राजेश्वरी प्रसाद,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**अधिशासी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद बांदा,
जनपद-बांदा।

**नगर विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2026**

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

**महोदय,**

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-105/2025/आरएफ-557/नौ-9-2025/003-ई-1911236, दिनांक-27.03.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद बांदा, जनपद-बांदा को **कुल लागत रू0 200.72 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये ऋण के रूप में आवंटित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख** अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-बांदा द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद बांदा, जनपद-बांदा को **द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

| क्र0 सं0 | निकाय, जनपद एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण | प्राक्कलित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | ऋण के रूप में आवंटित धनराशि | निविदा (टेण्डर) की धनराशि | प्रथम किश्त/ निर्गत धनराशि | द्वितीय/अंतिम किश्त की निर्गत की जा रही धनराशि *(आवंटित धनराशि-प्रथम किश्त की धनराशि) (4-6)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर पालिका परिषद बांदा, जनपद-बांदा में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण | 200.72 | 200.00 | 200.70 | 100.00 | 100.00 |

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की **अनुदान संख्या-37,** के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-**192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों** को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2027 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
(5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-105/2025/आरएफ-557/नौ-9-2025/003-ई-1911236, दिनांक-27.03.2025 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 16-05-2026
13:39:21

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-75 /2026/आर0एफ0-701/नौ-9-2026/005-ई-1963478, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बांदा।
6. कोषाधिकारी, जनपद-बांदा।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2026-2027**
**आवंटन दिनांक-16/05/2026**

**प्रेषण संख्या:-** 75
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-75-RF-701-9-9-2026-005-E-1963478
**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 30-निवेश/ऋण | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बांदा -4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 10000000<br>15000000 | 10000000<br>15000000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 10000000<br>15000000 | 10000000<br>15000000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख

(देवेश मिश्र)
**संयुक्त सचिव**